# न्यायालय जिला कलक्टर,बाड़मेर

## पीठासीन अधिकारी–श्री शिवप्रसाद एम.नकाते आई.ए.एस.

रसद आवेदन पत्र संख्या 10/2017

| प्रार्थी | बनाम | अप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| राजस्थान सरकार जरिये,<br>थानाधिकारी पुलिस थाना<br>चौहटन | | 1.दलपत भारती पुत्र रूपभारती<br>जाति स्वामी निवासी सणाऊ<br>2.कालु भारती पुत्र रूपभारती<br>जाति स्वमी निवासी सणाऊ<br>पुलिस थाना चौहटन |

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

रसद आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955

उपस्थितः–1. श्री दौलतराम अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से
2. श्री मनोज पारीक अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से।

**निर्णय** दिनांक 13.06.2018

1. संक्षेप में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 25.01.2017 को थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन को श्री अचलाराम एएसआई से सूचना प्राप्त हुई कि चौहटन में राशन सामग्री वितरण के प्राधिकृत डीलर मिश्रीमल पुत्र रावतमल जैन निवासी चौहटन द्वारा कुभाराम आर्य उच्च माध्यमिक विधालय छात्रावास संचालक को सरकार द्वारा नियंत्रित एंव राशन कार्ड पर वितरित किये जाने वाले गेहूँ अवैध रूप से विक्रय किए गए है। राशन के गेहूँ अवैध रूप से थ्री व्हीलर टैक्सी नम्बर आरजे 04 पीए 4458 में मिश्रीमल की दुकान से कुंभाराम आर्य स्कूल के छात्रावास ले जा रहे है। उक्त सूचना पर श्री अचलाराम एएसआई मय जाब्ता द्वारा टैक्सी को रामदेव मदिर के सामने चौहटन में रोककर चैक करने पर राशन के गेहूँ अवैध रूप से परिवहन करने की पुष्टि होने पर सीओ प्रभातीलाल वृताधिकारी चौहटन को कार्यवाही हेतु सूचित किया गया। जिस पर वृताधिकारी चौहटन रामदेव मदिर के सामने चौहटन पहुँचने पर अचलाराम एएसआई मय जाब्ता एंव टैक्सी नम्बर आरजे 04/ पीए 4458 में दो व्यक्ति बैठे मिले। टैक्सी में बैठे व्यक्तियो के नाम पता पूछने पर टैक्सी चालक ने अपना नाम कालूभारती पुत्र रूप भारती जाति गोस्वामी निवासी सनाऊ एंव दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम बांकाराम उर्फ पूनमाराम पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी शास्त्री नगर चौहटन बताया। टैक्सी में भरे कट्टो के बारे मे पूछने पर राशन सामग्री डीलर मिश्रीमल व कुंभाराम आर्य उच्च मायमिक विधालय छात्रावास के संचालक के कहने पर मिश्रीमल की राशन सामग्री की दुकान से 10 कट्टे टैक्सी मे डालकर कुंभाराम आर्य स्कूल के

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

छात्रावास चौहटन ले जाना बताया। रूबरू मौतबिरान के कट्टे चैक करने पर 50 किलोग्राम के 10 कट्टे गेहूँ से भरे हुए पाए गए। 9 कट्टो पर GOVERNMENT OF HARYANA एंव एक कट्टे पर भारत सरकार व प्रत्येक कट्टे का वजन 50 किलोग्राम पाया गया। उक्त गेहूँ के कट्टो के बिल,राशन के नियंत्रित मूल्य के गेहूँ परिवहन करने व कब्जा में रखने बाबत दस्तावेज के बारे मे पूछने पर कोई बिल परमिट नहीं होना बताया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गेहूँ कालाबाजारी करने हेतु अवैध रूप से परिवहन करने के फलस्वरूप बरामद 05 क्विंटल गेहू एंव गेहूँ परिवहन करने मे प्रयुक्त वाहन टैक्सी नम्बर आरजे 04/पीए 4458 को बरामद कर उसका निस्तारण करने हेतु प्रार्थी ने यह आवेदन पत्र धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश किया।

2. हमने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर,अप्रार्थीगण को कारण बताओ नोटिस ज़ारी किये। बरामद वाहन के खराब होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए वाहन टैक्सी नम्बर आरजे 04/पीए 4458 वाहन मालिक दलपत भारती पुत्र रूप भारती जााति गोस्वामी साकिन सणाऊ को दो लाख रूपये की जमानत एंव इसी कदर राशि के सुपुर्दगीनामा पर सुपुर्द करने के आदेश दिये गये और गेहूँ के खराब होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए इनका अन्तरिम निस्तारण कर अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त गेहूँ राशि राज्य कोष में जमा कराने के आदेश दिये।

3. अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री मनोज पारीक उपस्थित हुए जिन्हे जवाब हेतु पर्याप्त समय देने के बावजूद जवाब पेश नहीं किया,फलस्वरूप जवाब बन्द किया गया।

4. हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी। प्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी का यह तर्क है कि बरामद गेहूँ राशन के गेहूँ है जो अप्रार्थीगण द्वारा अवैध परिवहन एंव क्रय कर गेहूँ का दुरूपयोग कर खुले बाजार में बेचान करने हेतु परिवहन किया जा रहा था। राशन के गेहूँ बेचना अपराध है। अप्रार्थीगण द्वारा इन गेहूँओं का दुरूपयोग कर खुले बाजार में बेचान करने हेतु अवैध रूप से परिवहन किया गया है।इसलिये अप्रार्थीगण से बरामद गेहूँ, एंव वाहन जब्त सरकार किये जाए।

5. अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अप्रार्थी का वाहन थ्री व्हीलर टैक्सी चौहटन कस्बे में खड़ा रहता है। अप्रार्थी को पास उचित मूल्य दुकानदार ने अपने भण्डार से गेहूँ भरकर आगे कुम्भाराम आर्य उच्च माध्यमिक विधालय पहुँचाने हेतु किराये पर चलने को कहा, जिस पर प्रार्थी वाहन मालिक का ड्राईवर कालू भारती वाहन को डीलर के कहने से किराये पर लेकर गया तथा वाहन में गेहूँ भरकर जा रहा था तब पुलिस ने गिरफतार किया। प्रार्थी का वाहन मात्र किराये पर चलता है, जो

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

डीलर के कहने से ही गया था। वाहन में भरे गये गेहूँ से प्रार्थी के वाहन उसके ड्राईवर का कोई सरेकार नहीं है। इस प्रकरण में वाहन मालिक का किसी भी प्रकार का कालाबाजारी का उद्देश्य नहीं था। इसलिये अप्रार्थी का वाहन मुक्त किया जाए।

6. हमने दोनो पक्षों के तर्को पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। दिनांक 25.01.2007 को वृताधिकारी पुलिस वृत चौहटन को दी गई सूचना के आधार पर पुलिस जाब्ता के ग्राम चौहटन में रामदेव मदिंर के सामने वाहन टैक्सी नम्बर आरजे 04/पीए 4458 को रूकवाकर चैक करने पर उसमें 50 किलोग्राम के 10 गेहूँ के भरे पाये गये। जिसमें प्रत्येक कट्टे का वजन 50 किलोग्राम पाया गया। उक्त गेहूँ के बारे में टैक्सी चालक अप्रार्थी संख्या 02 को वैध बिल व बिल्टी के बारे में पूछने पर किसी प्रकार का अनुज्ञा पत्र नहीं होना पाया गया। गेहूँ के कट्टो को चैक करने पर उसके ऊपर 9 कट्टो पर GOVERNMENT OF HARYANA एंव एक कट्टे पर भारत सरकार व प्रत्येक कट्टे का वजन 50 किलोग्राम की इबारत लिखी हुई पायी गयी। जिससे यह प्रकट होता है कि बरामद गेहूँ राशन के थे, जिसे कम मूल्य पर खरीद कर निजी लाभ हेतु कालाबाजारी में बेचने हेतु परिवहन करना प्रमाणित है। अप्रार्थीगण ने नियंत्रित सामग्री गेहूँ को कालाबाजारी में बेचने व खरीदने का षडयंत्र किया है। अतः अप्रार्थीगण गेहूँ की खरीद के बिल एंव बिल्टी एंव परिवहन से सम्बन्धित कागजात वक्त बरामदगी प्रस्तुत नहीं करने के कारण उक्त गेहूँ अवैध रूप से कालाबाजारी में खरीदना एंव बेचान करने का अपराध साबित होने से जब्त करने योग्य है।

7. प्रार्थी द्वारा बरामद किया गया 05 क्विंटल गेहूँ के परिवहन हेतु वाहन टैक्सी नम्बर आरजे 04/पीए 4458उपयोग मे लेकर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 (ए)के उक्त परन्तुक का उल्लंघन करने एंव अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम के अन्तर्गत अप्रार्थी वाहन मालिक दलपत भारती पुत्र रूप भारती जाति स्वामी निवासी सणाऊ पुलिस थाना चौहटन पर 9000/—अक्षरे नौ हजार जुर्माना आरोपित किया जाता है। अप्रार्थी जुर्माना की राशि 15 योम में जमा कराकर जमा की रसीद पेश करें। 15 दिन की अवधि में राशि जमा नहीं कराने की स्थिति में वाहन को राजसात करने की कार्यवाही की जावेगी।

8. वक्त बरामदगी प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी से टैक्सी में भरे कट्टो के बारे मे पूछने पर राशन सामग्री डीलर मिश्रीमल व कुंभाराम आर्य उच्च मायमिक विधालय छात्रावास के संचालक के कहने पर मिश्रीमल की राशन सामग्री की दुकान से 10 कट्टे टैक्सी मे डालकर कुंभाराम आर्य स्कूल के छात्रावास चौहटन ले जाना बताया। इससे यह प्रतीत होता है कि बरामद गेहूँ राशन के थे, जिन्हे कालाबाजारी में बेचने व परिवहन करना

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

और उसमें राशन डीलर मिश्रीमल का शामिल होना प्रकट है। अतः जिला रसद अधिकारी बाड़मेर को निर्देश दिये जाते है कि इस सम्बन्ध में जॉच कर तथ्य सही पाये जाने पर डीलर मिश्रीमल के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही करें।

9. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण से बरामद 05 क्विंटल गेहूँ को राजसात (CONFISCATE) किया जाता है।चूँकि बरामद गेहूँ, का अन्तरिम निस्तारण किया जा चुका है।लिहाजा अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि राज्य कोष में जमा हो। है।

(शिवप्रसाद एम नकाते)
जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर सत्यमेव जयते बाड़मेर (राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 13.06.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner